FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौडगढ

बनाम ....

किस्म मुकदमा– पत्थरगढी नं .... सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.2.23	प्रार्थी की ओर से वकील श्री दिलीप कुमार एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एव नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जाच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा डूंगला पटवार मण्डल डूंगला तहसील डूगला की आराजी नम्बर 2861/2231 रकबा 1.0100 हैक्टर/बीघा भूमि स्वय के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नही है। तथा विपक्षीगण आराजी के पडौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हे नपती कराने का अधिकार निहित है। अत तहसीलदार डूगला को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति मे बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त मे दखल दिये मौजा डूंगला पटवार मण्डल डूंगला तहसील डूगला की आराजी नम्बर 2861/2231 रकबा 1.0100 हे0/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकम्मल तौर पर की जावे। पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनाक 02.5.23 तक न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फैसल समार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2023.03.15 18:21:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner